

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

पत्रांक: 38/16/वि0प्रा0/मानचित्र-16-17

दिनांक : 23.02.2017

:—अनुज्ञा पत्र—:

सेवा में,

एस0एल0 इन्फास्टेट प्रा0लि0,
निदेशक श्री अमित मित्तल पुत्र श्री मुन्नालाल मित्तल
निवासी-जलेसर रोड, फिरोजाबाद।

आपका आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2016 प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं0 38/2016 के सन्दर्भ में मौजा-अली नगर कैंजरा फिरोजाबाद के खसरा सं0 714 क्षेत्रफल 5330.00 वर्ग मीटर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उ0प्रा0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत आवासीय ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। (स्वीकृत मानचित्र संलग्न है)

- 1- यह मानचित्र अनुज्ञा पत्र की तिथि से 5 वर्ष तक वैध है, इसके पश्चात नवीनीकरण कराना होगा।
- 2- फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा आरोपित किये गये किये गये शुल्कों के अतिरिक्त यदि भविष्य में कोई देयता आरोपित की जाती है तो पक्ष को देय होगी।
- 3- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- 4- जिस प्रयोजन के लिए ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की अनुमति दी जा रही है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्रा0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अन्तर्गत अधीन दण्डनीय है। यदि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- 5- अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य संलग्न आगणन के अनुसार निर्धारित समय में ही कराया जायेगा, तथा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- 6- विक्रय हस्तान्तरण किये जाने वाले प्रत्येक भवन की रजिस्ट्री की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे।
- 7- रेनवाटर हार्वेस्टिंग/पीजोमीटर की स्थापना हेतु शासनादेश के अनुसार धनांक रू0 2.00 लाख की एफ0डी0आर0 सचिव, विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के नाम बंधक करते हुये 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी तथा मानकों के अनुसार कियान्वयन करना होगा।

- 8- चक मार्ग/सरकारी भूमि सम्बन्धी किसी भी वाद विवाद की दशा में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 9- हस्तान्तरण से पूर्व उक्त कॉलोनी में कराये जाने वाले विकास कार्यों के रख-रखाव की जिम्मेदारी कालोनाइजर की होगी।
- 10- ग्रुप हाउसिंग के प्रवेश द्वारा पर एक साइन बोर्ड लगायेंगे, जिसमें ग्रुप हाउसिंग का नाम तथा वैधता की तिथि दर्शायी जायेगी।
- 11- सभी विकास कार्य यथा वाटर लाइन, सीवर लाइन, सड़क, नाली, पार्क, आदि लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार पूर्ण कराने होंगे।
- 12- विक्रय पत्र/हस्तान्तरण विलेख में ग्रुप हाउसिंग के मानचित्र की स्वीकृत तिथि, वैधता अवधि व बन्धक रखे गये भवनों का विवरण तथा अन्य शर्तों का उल्लेख किया जायेगा।
- 13- प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखे गये भवन (मानचित्र के अनुसार) विकास कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार अवमुक्त किये जायेंगे।
- 14- 125 वृक्ष प्रति हेक्टेयर खुले क्षेत्र में वृक्ष लगाना आवश्यक होगा।
- 15- फायर हाइड्रेंट आदि का नियमानुसार प्राविधान कराना होगा।
- 16- पेयजल व्यवस्था हेतु स्वयं ट्यूबवैल/उच्च जलाशय का निर्माण कराना होगा।
- 17- योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वयं के हर्जे-खर्चे पर विद्युत विभाग से अनुमति प्राप्त कर विद्युतीकरण का कार्य कराया जायेगा।
- 18- सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना मानकों के अनुसार करनी होगी।
- 19- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फिरोजाबाद का अनापत्ति प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की दशा में मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
- 20- स्ट्रक्चरल डिजायन एवं ड्राइंग 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी तथा स्ट्रक्चरल डिजायन एवं ड्राइंग के अनुसार ही निर्माण कार्य कराना होगा।
- 21- लेबर सैस शुल्क की अवशेष धनराशि को निर्माण कार्य के दौरान समय-समय पर देना होगा।
- 22- उपरोक्त सभी शर्तें आपको मान्य होंगी, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।


23/01/17

सचिव

फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण,
फिरोजाबाद